Website

अति आवश्यक/समयबद्ध/द्वारा फैक्स

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।

संख्याः18/ए–1(124)2014 दिनांक–जून 26,2014

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली–1974 के अन्तर्गत सेवाकाल में मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को **उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस** के पद पर सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु पद विषयक दक्षता मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

....

कृपया अवगत कराना है कि मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली–1974 के अन्तर्गत सेवाकाल में मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को **उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस** के पद पर सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के अनुमोदन के उपरान्त दक्षता मूल्यांकन कराये जाने हेतु **दिनांकः24.11.2014 से 26.11.2014 (दिन सोमवार, मंगलवार व बुधवार) की तिथि निर्धारित की गयी है। पात्र मृतक आश्रितों को उक्त दक्षता मूल्यांकन में सम्मिलित होने हेतु बुलावा पत्र (Call Letter) पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।**

2. उल्लेखनीय है कि मृतक आश्रितों को **उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस** के पद पर सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव जनपद/इकाईयों से लगातार प्राप्त हो रहे हैं। प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त सही पाये जाने पर बुलावा पत्र निर्गत किया जाता है। यह प्रस्ताव परीक्षा की तिथि से पूर्व तक प्राप्त होते रहेंगे, जो प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में प्राप्त हो रहे हैं उनसे सम्बन्धित समस्त अभ्यर्थी यही चाहेंगे कि उनको **दिनांकः24.11.2014 से 26.11.2014** तक की परीक्षा में ही सम्मिलित कर लिया जाय।

3. विगत परीक्षा में यह भी अनुभव किया गया है कि जो अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा में असफल हो जाते हैं वह यह कहकर मा0 उच्च न्यायालय की शरण में चले जाते हैं कि उन्हें प्रश्नगत परीक्षा की तैयारी हेतु कोई समय नहीं दिया गया जिसके कारण वे असफल हो गये। इससे अनावश्यक समस्या उत्पन्न होती है।

4. अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों/परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पुलिस मुख्यालय में जिन मृतक आश्रितों के **उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस** के पद हेतु सेवायोजन सम्बन्धी प्रकरण **दिनांकः15.10.2014** तक प्राप्त होंगे उनमें से पात्र आश्रितों का दक्षता मूल्यांकन **दिनांकः24.11.2014 से 26.11.2014** तक की अवधि में सम्पन्न कराया जायेगा। **दिनांकः15.10.2014** के उपरान्त **उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस** के पद पर सेवायोजन सम्बन्धी प्राप्त प्रकरणों में पात्र मृतक आश्रितों का दक्षता मूल्यांकन **दिनांकः26.11.2014 के पश्चात् होने वाली आगामी परीक्षा** में कराया जायेगा। कृपया तद्नुसार अपने जनपद/इकाई में इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

26/6/14
पुलिस अधीक्षक,कार्मिक
उत्तर प्रदेश

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि, अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0प्र0, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि–पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–पुलिस उपाधीक्षक, स्थापना, पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अति आवश्यक / समयबद्ध / द्वारा फैक्स
Website

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।

संख्या:18 / ए–4(102)2014 दिनांक–जून 26,2014

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली–1974 के अन्तर्गत सेवाकाल में मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को **एस0आई0(एम) / आशुलिपिक** के पद पर सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु पद विषयक दक्षता मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

....

कृपया अवगत कराना है कि मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली–1974 के अन्तर्गत
सेवाकाल में मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को **एस0आई0(एम) / आशुलिपिक** के पद पर सेवायोजन
प्रदान किये जाने हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के अनुमोदन के उपरान्त दक्षता मूल्यांकन
कराये जाने हेतु **दिनांक:11.10.2014 व 12.10.2014 (दिन शनिवार व रविवार) की तिथि निर्धारित की**
गयी है। पात्र मृतक आश्रितों को उक्त दक्षता मूल्यांकन हेतु दिनांक:11.10.2014 को प्रातः 8.00 बजे
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद में उपस्थित होना है जिसके लिये समस्त पात्र मृतक आश्रितों को
बुलावा पत्र (Call Letter) पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।

2. उल्लेखनीय है कि मृतक आश्रितों को **एस0आई0(एम) / आशुलिपिक** के पद पर
सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव जनपद / इकाईयों से लगातार प्राप्त हो रहे हैं। प्राप्त प्रस्तावों
का परीक्षण करने के उपरान्त सही पाये जाने पर बुलावा पत्र निर्गत किया जाता है। यह प्रस्ताव
परीक्षा की तिथि से पूर्व तक प्राप्त होते रहेंगे, जो प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में प्राप्त हो रहे हैं उनसे
सम्बन्धित समस्त अभ्यर्थी यही चाहेंगे कि उनको **दिनांक:11.10.2014 व 12.10.2014** की परीक्षा में ही
सम्मिलित कर लिया जाय।

3. विगत परीक्षा में यह भी अनुभव किया गया है कि जो अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा में असफल
हो जाते हैं वह यह कहकर मा0 उच्च न्यायालय की शरण में चले जाते हैं कि उन्हें प्रश्नगत परीक्षा
की तैयारी हेतु कोई समय नहीं दिया गया जिसके कारण वे असफल हो गये। इससे अनावश्यक
समस्या उत्पन्न होती है।

4. अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों / परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया
गया है कि पुलिस मुख्यालय में जिन मृतक आश्रितों के **एस0आई0(एम) / आशुलिपिक** के पद हेतु
सेवायोजन सम्बन्धी प्रकरण **दिनांक:31.08.2014** तक प्राप्त होंगे उनमें से पात्र आश्रितों का दक्षता
मूल्यांकन **दिनांक:11.10.2014 व 12.10.2014** को सम्पन्न कराया जायेगा। **दिनांक:31.08.2014** के
उपरान्त **एस0आई0(एम) / आशुलिपिक** के पद पर सेवायोजन सम्बन्धी प्राप्त प्रकरणों में पात्र मृतक
आश्रितों का दक्षता मूल्यांकन **रिक्ति विद्यमान होने की दशा में दिनांक:12.10.2014 के पश्चात् होने**
वाली आगामी परीक्षा में कराया जायेगा। कृपया तदनुसार अपने जनपद / इकाई में इसका व्यापक
प्रचार–प्रसार करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

26/6/14

पुलिस अधीक्षक,कार्मिक
उत्तर प्रदेश

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि- अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ
उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–पुलिस उपाधीक्षक, स्थापना, पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु।